2/18 आवश्यक कार्य से स्थगन

28-3-18

21/5/18 पत्रावली न्यायालय समक्ष पर
नेम - गोपाबोला से पेश हुई
वकील वादी श्री राम प्रसाद जलवा
उपस्थित होकर निवेदन किया
कि पत्रावली में कोई कार्यवाही
नहीं चाहते हैं अतः पत्रावली
प्रथम स्तर पर समाप्त की
जाती है।

Not press

अब्दुलरहमान
वकील वादी